

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/बजट घोषणा-136/Center of excellence/18-19/

दि. 21.6.19

25023-43

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
प्रतापगढ/बांसवाडा।

विषय : प्रतापगढ एवं बांसवाडा मुख्यालय पर बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास के स्थान पर Center of excellence निर्माण कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति ।

प्रसंग : राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित स्थानों पर बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास (क्षमता 100) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी— (राशि लाख रू. में)

क्र.स.	स्थान	वित्तीय स्वीकृति		स्थान	कार्यकारी एजेन्सी
		क्र/दि	राशि		
1	प्रतापगढ मुख्यालय	29718-31/ 14.08.18	532.83	जिला कलक्टर कार्यालय परिसर के सामने कन्या खेल छात्रावास के समीप।	RSAMB
2	बांसवाडा मुख्यालय	30934-49/ 27.08.18	479.74	नगर परिषद् बांसवाडा की माही सरोवर (ई-ब्लॉक) में उपलब्ध भूमि पर।	PWD
		योग	1012.57		

उपरोक्त दोनो बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास की कार्यकारी एजेन्सीयों द्वारा कार्यादेश जारी कर दिये गये है परंतु कार्य प्रारम्भ नहीं हुए है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की विभागीय पत्रावली के पैरा संख्या-63 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उक्त बहुउद्देशीय छात्रावासो के स्थान पर Center of excellence भवन का निर्माण किया जाना है अतः पूर्व में स्वीकृत उक्त बहुउद्देशीय छात्रावासो के कार्यो की जारी वित्तीय स्वीकृति निरस्त की जाती है।

उपरोक्त निरस्त कार्यो के स्थान पर Center of excellence भवन निर्माण कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। Center of excellence भवन निर्माण के प्रस्तावित कार्यो के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित है -

तल	प्रस्तावित कार्य
अण्डर ग्राउण्ड	पार्किंग
भू-तल	पार्किंग, वार्डन क्वार्टर, कार्यालय, चौकीदार क्वार्टर, स्टोर
प्रथम तल	ई कक्षा-कक्ष, ट्रेनिंग सेन्टर एवं स्टाफ रूम
द्वितीय तल	केरियर काउन्सलिंग, कम्प्यूटर एवं लाईब्रेरी कक्ष
तृतीय तल	पेन्ट्री, किचन, डाईनिंग हॉल, स्टोर, कोच क्वार्टर
चतुर्थ पंचम, षष्ठम तल	आवास सुविधा (डोरमेट्री 4 बेडेड) एवं कॉमन रूम
	लिफ्ट सुविधा, फायर फाईटिंग सिस्टम, इन्डोर जिम, बाउण्ड्रीवॉल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नलकूप फर्निचर आदि।

कृपया भूमि की उपलब्धता एवं Site Condition के आधार पर साईट प्लान एवं Building Bylaws (भवन निर्माण संबंधी मानदंड) के अनुरूप प्रस्तावित कार्य का तकनीकी नोट, ड्राईंग, ऐलिवेशन, प्लान आदि कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

भवदीय


(अंजली सजोरिया) I.A.S
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
कृ.पू.उ.

क्र: एफ 5/अभि./सीटीएडी/बजट घोषणा-136/Center of excellence/18-19/
प्रतिलिपि-

दि. 21.6.19

25023-43

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख/संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा/प्रतापगढ।
4. प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत भवन राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयो को भूमि की उपलब्धता एवं Site Condition के आधार पर साईट प्लान एवं Building Bylaws (भवन निर्माण संबंधी मानदंड) के अनुरूप प्रस्तावित कार्य का तकनीकी नोट, ड्राईंग, ऐलिवेशन, प्लान आदि प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करे।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाडा।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-III प्रतापगढ।
11. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भीलवाडा/उदयपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाडा को भेजकर लेख है भूमि की उपलब्धता एवं Site Condition के आधार पर साईट प्लान एवं Building Bylaws (भवन निर्माण संबंधी मानदंड) के अनुरूप प्रस्तावित कार्य का तकनीकी नोट, ड्राईंग, ऐलिवेशन, प्लान आदि प्रस्तुत करे।
12. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
13. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
14. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
15. शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
16. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)